न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 195/2023

जीसीएमएस नं. :– 2023/340

प्रार्थीया :–		अप्रार्थी :–
गजरा पत्नि अलारख जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिन्धीपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : दर्ज तारीख :– 30.11.2023

श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया।

तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 09.12.2023

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी कब्जासुद जमीन खाता सं. 167 खसरा नम्बर 1357/21 रकबा 0.1618 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई हैं। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं व अपने उपयोग उपभोग में लेती आ रही हैं। वादग्रस्त आराजी के उत्तर तरफ अन्य कृषि भूमि आयी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 1357/26 की भूमि आयी हुई हैं तथा वादग्रस्त आराजी के पूरब तरफ खसरा नम्बर 1357/4 की भूमि आयी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी के पश्चिम तरफ पीपाड़ शहर से मलार जाने वाली मुख्य सड़क आयी हुई। प्रार्थीया अपने वादग्रस्त आराजी के चारो ओर पट्टियो के टूकड़े रोपकर तारबंदी करवाना चाहती हैं। प्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी का नाप–चौप कर सीमांकन करवाकर वादग्रस्त आराजी के चारो कोनो पर पत्थर–गड्डी करवाना चाहती है जिसके लिए प्रार्थीया पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की खातेदारी कब्जासुद है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती आ रही है व अपने उपयोग व उपभोग में लेती आ रही हैं। जिसका प्रार्थीया नाप –चौप कर सीमाकंन करवाकर पत्थर–गड्डी करवाना चाहती हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीया की ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1357/21 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

0.1618 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय का नाप चौप कर सीमांकन करवाया जाकर वादग्रस्त आराजी के चारो कोनो पर पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीया हो प्रार्थीया के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1357/21 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि का सीमाकंन की पत्थरगढ़ी की जाती हैं तो कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम सिन्धीपुरा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थीया की वादग्रस्त आराजी 1357/21 रकबा 0.1618 भूमि का नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाकर उक्त खसरान के चारो तरफ पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी बहस में उक्त पत्थरगढ़ी बाबत् अनापति जाहिर की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आरजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिन्धीपुरा के खसरा नम्बर 1357/21 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बावत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीया राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर